अधिहरण वाद संख्या-81/2018-2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री अजय कुमार, पिता-सत्य नारायण प्रसाद साह
सा0-मरातीपुर, वार्ड नं0-04, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया

(2) श्री अरविन्दसाह, पिता-ईशवर साह
सा0-मरातीपुर, वार्ड नं0-04, थाना-कुर्साकांटा,
जिला-.................................................................................. विपक्षीगण

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 25.05.2019 | इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1675/हि0शा0, दिनांक 03.10.2018) के आलोक में कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-268/17, दिनांक 21.11.2017, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त हीरो पैसन प्रो मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-39F-3717, ईंजन सं0-HA10EDAGJ12955, चेचीस नं0-MBLHA10AHAGJ12529 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-268/17, दिनांक 21.11.2017, के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त-1. श्री अजय कुमार, पिता-सत्य नारायण प्रसाद साह, सा0-मरातीपुर, वार्ड नं0-04, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया 2. श्री अरविन्द साह, पिता-ईशवर साह, सा0-मरातीपुर, वार्ड नं0-04, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया।<br>(2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निधारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना।<br>(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि दिनांक 21.11.2017 मंगलवार समय करीब 19.45 बजे मरातीपुर हनुमान मंदिर के पास सहायक अवर निरीक्षक, कुर्साकांटा थाना संध्या गश्ती में BHG400396 सदानंद यादव, BHG401834, रामेश्वर मंडल B.H.G.400396 ब्रह्मदेव विश्वास के साथ थे। मरातीपुर हनुमान मंदिर के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। करीब 19.45 बजे एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति सवार मरातीपुर से कुर्साकांटा की ओर आ रहा था। उक्त मोटर साईकिल चालक को पुलिस बल के द्वारा रूकने का ईशारा किया गया। मोटर साईकिल चालक गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास किया। पुलिस बल द्वारा खदेड़कर पकड़ लिया गया। पकड़ाये गये दोनों व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम 1. अजय कुमार, पिता-सत्य नारायण प्रसाद साह, सा0-मरातीपुर, वार्ड नं0-04, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया 2. अरविन्द साह, पिता-ईशवर साह, सा0-मरातीपुर, वार्ड नं0-04, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया बताया। वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षियों क्रमशः 1. कैलास कुमार, पे0-उत्तम साह, सा0-मरातीपुर, वार्ड नं0-04, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया एवं 2. पिन्टु कुमार साह, पे0-इशवर चन्द साह, सा0-मरातीपुर, वार्ड नं0-04, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया के समक्ष अपना तथा अपने दल का जमा तलाशी देने के उपरान्त पकड़े गये दोनों व्यक्तियों तथा मोटर साईकिल का विधिवत तलाशी किया। तलासी के क्रम में मोटर साईकिल Possion Pro रजिस्ट्रेशन संख्या- BR39F-3717 की डिक्की में सफेद नीला छीटदार कपड़ा में बंधा दो बोतल उमंगा तीन सौ एम0एल0 का नेपाली देशी शराब एक बोतल Genial नेपाली शराब 180 एम0एल0 का बरामद हुआ। बरामद शराब के संबंध में पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से बरामद | |

अधिहरण वाद संख्या-81/2018-2019

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 25.05.2019 | | |

शराब के संबंध में कागजात प्रस्तुत करने को कहा गय तो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। बरामद शराब तथा मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR39F-3717 को दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया।

बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप आपके विरूद्ध कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-268/17, दिनांक 21.11.2017, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया तथा आपको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त हीरो पैसन प्रो मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त हीरो पैसन प्रो मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त हीरो पैसन प्रो मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त हीरो पैसन प्रो मोटर साईकिल का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त हीरो पैसन प्रो मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-268/17, दिनांक 21.11.2017 में जब्त हीरो पैसन प्रो मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-39F-3717, ईंजन सं0-HA10EDAGJ12955, चेचीस नं0-MBLHA10AHAGJ12529 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात** किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1075/विधि, अररिया, दिनांक 31.5./2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया

25.5.2019

जिला दंडाधिकारी न्यायालय, अररिया (बिहार)